Government of India
Department of Atomic Energy

Anushakti Bhavan
CSM Marg
Mumbai 400 001

No.24/2(3)/2010-CCS/672 August 23, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Norms for promotion to the post of Director (Official Language) [Pay Band-4 Rs.37400-67000] with Grade Pay of Rs.8,700] in the Department of Atomic Energy.

One post of Director (Official Language) has been created in the Department vide O.M. No.2/1/2010-Adm./7913 dated 20.08.2010.

2. The question of formulating suitable norms for appointment/promotion to the post of Director (OL) was considered in the Department. On careful consideration, the following norms are prescribed for the post of Director (OL):

Appointment to the grade of Director (OL) [Pay Band-4 Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8,700] will be made by selection by merit from among the Joint Director (Official Language [JD(OL)] in the Department and its constituent units who have completed minimum 5 years regular service in the grade in the Pay Band-3 Rs.15,600-39,100 with Grade Pay Rs.7600 after assessing the suitability of the candidates based on their service record and Confidential Reports, by a duly constituted Departmental Promotion Committee (DPC) consisting of the following members:-

1.	Secretary, DAE	-	Chairman
2.	Director, BARC	-	Member
3.	Additional Secretary, DAE	-	Member
4.	Joint Secretary, DAE in charge of Official Language matters	-	Member
5.	A nominee of Secretary, Department of Atomic Energy from outside the Department	-	Member
6.	Nominee of Department of Personnel & Training	-	Member

3. The crucial date for purpose of determination of eligible candidates will be 1st January or 1st July of the calendar year in which the DPC meets. In case, the DPC meets before 1st July the eligibility date will be January 1, and in case DPC meets after 30th June but upto 31st December of the calendar year, the crucial date for the determination of eligibility will be 1st July.

4. Action is being initiated to frame the Recruitment Rules for the post under Article 309 of the Constitution which will be notified in due course.

5. This order comes into force with immediate effect.

K A 23/8/2010
(K. Abraham)
Director

To,

All Heads of Units of DAE

All Officers/Sections in DAE

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
केंद्रीयकृत कॉडर अनुभाग Centralized Cadre Section

अणुशक्ति भवन AnushaktiBhavan
छ. शि. म. मार्ग C.S.M Marg,
मुंबई Mumbai-400 001.

सं.No. 1/4/2017-सीसीएस/CCS/4470 मार्च March 29, 2017

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : निदेशक (राजभाषा)(वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में) के पद के लिए भर्ती मानदंडों में संशोधन।

Subject : Amendment to Recruitment Norms for the post of Director (Official Language) (Level 13 in the pay Matrix)

अधोहस्ताक्षरी को विभाग में (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में) निदेशक (राजभाषा) के पद के लिए भर्ती मानदंडों से संबंधित पऊवि के दिनांक 23.08.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/2(3)/2010-सीसीएस/672 का संदर्भ लेने तथा यह बताने का निदेश हुआ है कि विभाग के सक्षम प्राधिकारी नेपरमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप 'ए' तथा 'बी' पदों) के राजभाषा के सभी पदों के लिए संशोधित भर्ती नियमों को अपनाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तदनुसार दिनांक 23.08.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या में यथा दर्शाये गये अनुसार निदेशक(राजभाषा) के पद के लिए भर्ती नियमों में नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन किया जाता है :

The undersigned is directed to refer to DAE Office Memorandum No. 24/2(3)/2010-CCS/672 dated 23.08.2010 regarding the Recruitment Norms for the post of Director (Official Language) in the Level 13 in the Pay Matrix in the Department and to state that the competent authority in the Department has approved the proposal to adopt the Revised Recruitment Rules of all the Official Language Posts of Central Secretariat Official Language Services (Group 'A' and 'B' Posts) in DAE. Accordingly, the Recruitment Rules for the post of Director (Official Language) as indicated in OM dated 23.08.2010 is amended to the extent as indicated below:

2. पैरा 2 में ग्रेड वेतन रु.7600 सहित वेतन बैंड रु.15,600-39,100 के ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में 5 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा), इसके न होने पर लेवल 12 तथा उप निदेशक (राजभाषा) के रूप में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में संयुक्त रूप से दस साल की नियमित सेवा करने वाले संयुक्त निदेशक (राजभाषा) जिन्होंने संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में न्यूनतम 3 साल की नियमित सेवा पूरी की हो, से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

......2/-

In Para 2, "Joint Director (Official Language) in the Department who have completed minimum 5 years regular service in the grade in the Pay Band-3 Rs. 15,600-39, 100 with Grade Pay with 7600" shall be substituted with "Joint Director(Official Language) in the Department who have completed minimum 5 years regular service in Level 12 in the Pay Matrix failing which Joint Director (Official Language) having ten years combined regular service in Level 12 and Deputy Director(Official Language) in Level 11 in the Pay Matrix having a minimum three years regular service in the grade of Joint Director (Official Language)".

3. संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत इस पद हेतु भर्ती नियमों को बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। जिन्हें यथासमय अधिसूचित किया जाएगा।

Action is being initiated to frame the Recruitment Rules for the post under Article 309 of the Constitution which will be notified in due course.

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

This order comes into force with immediate effect.

ए. सुकुमारन 29/5/17

(ए. सुकुमारन A.Sukumaran)

अवर सचिव, भारत सरकार Under Secretary to the Government of India

इकाइयों के सभी प्रमुखAll Heads of Units.

इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुखAll Administrative Heads of Units.

पऊवि के सभी अधिकारीगण एवं अनुभाग All Officers and Sections in DAE

33

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

अणुशक्ति भवन
छ.शि.म. मार्ग
मुंबई-400 001

सं. 24/2(3)/2010-सीसीएस/672

23 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : परमाणु ऊर्जा विभाग में (रु.8,700 के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 रु.37400-67000 में) निदेशक (राजभाषा) के पद पर पदोन्नति हेतु मानदंड।

विभाग में दिनांक 20.8.2010 के का.ज्ञा. सं. 2/1/2010-प्रशा/7913 द्वारा निदेशक (राजभाषा) का एक पद सृजित किया गया है।

2. विभाग में निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए उपयुक्त मानदंड तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया गया। सावधानी पूर्वक विचार करने के उपरांत निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किये जाते हैं :

निदेशक (राजभाषा) (रु.8,700 के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 रु.37400-67000 में) के ग्रेड में नियुक्ति निम्नलिखित सदस्यों सहित विधिवत गठित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा विभाग तथा संघटक यूनिटों में वेतन बैंड-3 रु. 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु.7,600 में संयुक्त निदेशक (राभा) के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले संयुक्त निदेशक (राजभाषा) में से उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख एवं गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उनकी उपयुक्तता के निर्धारण के उपरांत योग्यता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी :-

1.	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	-	अध्यक्ष
2.	निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	-	सदस्य
3.	अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	-	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग राजभाषा संबंधी मामलों के प्रभारी	-	सदस्य
5.	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग का विभाग से बाहर का एक नामिती	-	सदस्य
6.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का एक नामिती	-	सदस्य

32

3. पात्र उम्मीदवारों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु सुसंगत तारीख, जिस कैलेंडर वर्ष में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है उसकी 1ली जनवरी या 1ली जुलाई होगी। यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक 01 जुलाई से पहले होती है तो पात्रता की तारीख 01 जनवरी होगी और यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक 30 जून के बाद लेकिन कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक होती है तो पात्रता के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख 01 जुलाई होगी।

4. संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत इस पद हेतु भर्ती नियमावली तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरू की जा रही है जिसे यथा समय अधिसूचित किया जाएगा।

5. यह आदेश तत्काल से प्रभावी रूप में लागू होता है।

के. अब्राहम

(के. अब्राहम)
निदेशक

सेवा में,

परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी इकाइयों के प्रधान
परमाणु ऊर्जा विभाग में सभी अधिकारी/अनुभाग
सदस्य, एमएसजी, पऊवि - को इस अनुरोध सहित कि इसे परमाणु ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।